

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 189/2015

संस्थित दिनांक-15/07/2015

फाइलिंग नंबर-230303004552015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. अजय यादव उर्फ लटूरी पुत्र वीरसिंह यादव उम्र 20 साल,
2. ब्रजमोहन उर्फ भर्मा पुत्र आदिराम यादव, 23 साल
3. बनवारी यादव पुत्र रामदास यादव उम्र 21 साल
निवासीगण ग्राम लोहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड
.....उपस्थित आरोपीगण
4. जयकुमार उर्फ जैकी पुत्र कमलसिंह यादव
उम्र 25 साल निवासी मौ
.....फरार आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण अजय, ब्रजमोहन एवं बनवारी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव
अधिवक्ता ।

-:- दोषमुक्ति आ दे श -:-

(अंतर्गत धारा-232 द0प्र0सं0 1973)

(आज दिनांक 28/06/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. विचाराधीन आरोपीगण अजय उर्फ लटूरी यादव, ब्रजमोहन उर्फ भर्मा एवं बनवारी यादव के विरुद्ध धारा 394 भा0द0सं0सहपठित धारा-11/13 डकैती अधिनियम के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक-15/09/2014 के रात 10 बजे खेरिया व बारहबीघा के बीच आम के पेड़ के सामने स्योडा रोड अंतर्गत थाना मौ के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहआरोपियों के साथ मिलकर फरियादी बाली खटीक को लात घूसों व लाठियां से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित पहुंचाकर उसकी जेब से 27, 300 रुपये निकालकर लूट कारित की ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, आरोपीगण एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार फरार है ।

3. अभियोजन के अनुसार बताई गई घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि दिनांक-15/09/2014 के रात करीब 08:00 बजे फरियादी बाली खटीक एवं उसका साथी धर्मेन्द्र खटीक बकरा बकरी खरीदकर अपने घर मौ की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में बारहबीघा स्थान के पास, जब धर्मेन्द्र के साथ पेशाब करने के लिए रुका तभी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर चार लोग आये जिसमें से फरियादी लूटरी यादव एवं जैकी को जानता था, दो अज्ञात थे । और लटूरी ने बाली की लाठी छीनकर उसकी मारपीट की जिससे उसको चोटें आयीं तथा उसकी पेंट की जेब में रखे 27300 रुपये निकाल लिये । चिल्लाने पर धर्मेन्द्र बचाने आया सोई भाग गये ।
4. उक्त आशय की मौखिक रिपोर्ट मौ पर फरियादी बाली खटीक द्वारा की गयी, जो थाना के अपराध क्रमांक-315/2014 धारा-394, 34 भा.द.वि. एवं 11, 13 डकैती अधिनियम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-03 कायम की गयी । विवेचना उपरांत अभियोगपत्र इस न्यायालय में विधिवत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।
5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण विचाराधीन आरोपीगण अजय उर्फ लटूरी यादव, ब्रजमोहन उर्फ भर्मा एवं बनवारी यादव के विरुद्ध धारा-394 भा.द.वि. एवं 11, 13 डकैती अधिनियम के आरोप की रचना की जाकर आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । विचारण किया गया । मामले में विचाराधीन आरोपीगण अजय उर्फ लटूरी यादव, ब्रजमोहन उर्फ भर्मा एवं बनवारी यादव के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, विचाराधीन आरोपीगण अजय उर्फ लटूरी यादव, ब्रजमोहन उर्फ भर्मा एवं बनवारी यादव की धारा-313 द.प्र. सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपीगण के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है ।
6. परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी अभियोजन कथानक अनुसार फरियादी बाली खटीक एवं उसका साथी धर्मेन्द्र खटीक बताया गया है जोकि साथ में थे और बकरा बकरी खरीदकर अपने घर मौ की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में बारहबीघा स्थान के साथ जब धर्मेन्द्र के साथ पेशाब करने के लिए रुका तभी एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर चार लोग आये जिसमें से फरियादी लूटरी यादव एवं जैकी को जानता था, दो अज्ञात थे । और लटूरी ने बाली की लाठी छीनकर उसकी मारपीट की जिससे उसको चोटें आयीं तथा उसकी पेंट की जेब में रखे 27300 रुपये निकाल लिये । चिल्लाने पर धर्मेन्द्र बचाने आया सोई भाग गये ।
7. इस मूल घटना के प्रमाण हेतु अभियोजन की ओर से जो 11

साक्षी परीक्षित कराये गये उनमें से पीडित बाली खटीक अ.सा.-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन दि०-10 मार्च 2016 को यह तो बताया है कि करीब डेढ़ साल पहले ग्राम असोना से बकरी खरीदकर पैदल अपने गांव जा रहा था, धर्मेन्द्र पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था, जैसे ही वह बारहबीघा के पास पहुंचा तो एक मोटरसाइकिल पर चार लोग आये जिन्होंने लाठी डण्डों से उसकी मारपीट शुरू कर दी और उसकी जेब से 27300 रुपये निकाल लिये और मौ की तरफ मोटरसाइकिल से भाग गये । धर्मेन्द्र ने आकर उसे उठाया, धर्मेन्द्र के पूछने पर कि कौन कौन लोग थे तो उसने चारों लोगों का मुंह बांधे होना और पहचान नहीं पाना बताया, आसपास के ग्रामीण लोग आ गये जिन्होंने जैकी और लूटरी के अलावा दो लोग और बताये थे फिर उसने थाना मौ में जाकर प्र.पी.-3 की रिपोर्ट लिखायी थी। जिन लोगों ने नाम बताये थे उनके नाम नहीं बता सकता। पुलिस ने मौका देखा था और प्र.पी.-4 का नक्शामौका उसकी निशादेही पर बनाया था लेकिन साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आये थे उनमें आरोपीगण ही थे। यह अवश्य कहा है कि लाल मोटरसाइकिल से घटना करने वाले आये थे।

8. उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह जैकी व लटूरी को पहले से जानता था और आरोपीगण को मौके पर देखा था जिनके मुंह बांधे नहीं थे । उसने इस बात से भी इंकार किया है उसके भाई धर्मेन्द्र के आने के बाद आरोपीगण भागे थे इसलिये आरोपीगण को पहचान लिया था और रिपोर्ट में सामने आने पर पहचान लेने की बात लिखायी थी । पल्सर मोटरसाइकिल से लूट करने वालों के आने की बात से इंकार करता है और प्र.पी.-3 की एफ आई आर एवं प्र.पी.-5 के पुलिस कथन में उक्त बात लिखाने से इंकार करता है। साक्षी का यह भी कहना है कि वह पढा लिखा नहीं है पुलिस ने उसे रिपोर्ट व कथन पढकर नहीं सुनाये थे । पैरा-4 में उसने विचाराधीन आरोपीगण के द्वारा लूट की घटना कारित किए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है और उन्हें पहली बार न्यायालय में देखना बताता है लूट करने वालों की शिनाख्ती करने से भी उसने इंकार किया है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य उसके भाई एवं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी धर्मेन्द्र खटीक अ.सा.-3 का भी है जिसने प्र.पी.-6 व प्र.पी.-7 के कथनों में पुलिस को ए से ए भाग का वृत्तांत बताने से इंकार किया है। जिसमें अपूर्ण घटना बतायी गयी ।

9. एफ आई आर प्र.पी.-3 में ऐसा कथानक नहीं है कि मौके पर अन्य लोग भी थे जिन्होंने जैकी व लटूरी के नाम फरियादी बाबू को बताये हों, जैसा कि वह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कह रहा है और किन लोगों ने नाम बताये उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं करता है । ऐसी स्थिति में केवल उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यही प्रमाणित हो सकता है कि बाली जब असोना से बकरियां खरीदकर अपने घर मौ आ रहा था, तब डकैती प्रभावित क्षेत्र बारहबीघा जो कि थाना मौ के अंतर्गत

आता है, वहां प्र.पी.-04 के नजरी नक्शा में दर्शित स्थान पर उसके साथ चार लोगों के द्वारा मारपीट कर 27300 रुपये लूट कारित करने की घटना की गयी किन्तु वह घटना आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा की गयी ऐसा उक्त दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। अर्थात् उक्त दोनों महत्वपूर्ण साक्षियों का अभिसाक्ष्य विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध नहीं है।

10. अन्य परीक्षित साक्षियों को देखा जाये तो प्रभाकर अ.सा.-1 जोकि आरोपी बनवारी की गिरफ्तारी प्र.पी.-1 उससे मोटरसाइकिल की जब्ती प्र.पी.-2 का पंच साक्षी है जिसने प्र.पी.-1 व 2 की कार्यवाही से इंकार किया है और वह पक्षविरोधी रहा है। प्र.पी.-2 मुताबिक जो मोटरसाइकिल जब्त हुई वह लाल रंग की अवश्य है किन्तु पल्सर मोटरसाइकिल नहीं है और स्टूनर मोटरसाइकिल है और कथानक में लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बतायी गयी है इससे भी कोई कड़ी नहीं जुडती है।

11. अन्य साक्षी रमेश अ.सा.-4 जिसने यह तो बताया है कि बाली एवं धर्मेन्द्र उसके घर के हैं जो बकरी खरीदकर असोना से मौ आ रहे थे तब कुछ बदमाशों ने बाली के साथ लूट की थी जिसकी बाली ने रिपोर्ट की थी। लेकिन उसने इस बात से इंकार किया है कि पुलिस द्वारा उससे की गयी पूछताछ में उसने आरोपीगण के नाम प्र. पी.-8 एवं प्र.पी.-9 के कथनों में पुलिस को बतायी थी। इसी प्रकार अनीस खां अ.सा.-10 जिसकी उपस्थिति बस स्टेण्ड मौ पर घटना दि0 को बतायी गयी है उसने यह कहा है कि वह अपने मामा सुनील के यहां मौ में मोटरसाइकिल से दि0-15/9/14 को गया था। बनवारी को पहले से जानता था, बनवारी, उसकी मोटरसाइकिल यह कहकर मांगकर ले गया था कि उसकी मां की तबीयत खराब है और दवाई लेने जाना है लेकिन काफी देर तक नहीं लौटा था, घर पर पता करने पर घर पर भी नहीं मिला था, वह अपने मामा के यहां से ग्वालियर यह कहकर चला गया था कि मोटरसाइकिल भिजवा देना। भर्ता उर्फ ब्रजमोहन को वह पहले से जानने से इंकार करते हुए प्र.पी.-19 का कथन देने से इंकार किया है। बनवारी से जो मोटरसाइकिल जब्त हुई वह कथानक मुताबिक घटना में उपयोग में नहीं लायी गयी है। इसलिये उक्त साक्षी से भी कोई कड़ी नहीं जुडती है, जो घटना को प्रमाणित कर सके।

12. कथानक मुताबिक आरोपीगण जैकी व लूटरी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट किए जाने तथा अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्तों के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्हें अनुसंधान में शामिल करते हुए अभियोजित धारा-27 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर किया गया। जिनके संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी है उसमें राहुल अ.सा.-6 एवं कपिल अ. सा.-7 आरोपीगण अजय के मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-11 और गिरफ्तारी

प्र.पी.-13 के पंच साक्षी हैं जिन्होंने दोनों ही दस्तावेजों की कार्यवाही का कोई समर्थन नहीं किया है और पक्ष विरोधी रहे हैं । राहुल ने प्र.पी.-12 और कपिल ने प्र.पी.-14 के पुलिस कथन देने से इंकार किए हैं । इसी प्रकार आरोपी भर्मा उर्फ ब्रजमोहन की गिरफ्तारी प्र.पी.-17 एवं मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-15 के पंच साक्षी गोटे अ.सा.-8 और संतोष अ.सा.-9 ने भी कोई समर्थन नहीं किया तथा गोटे ने प्र.पी.-16 का पुलिस कथन और संतोष ने प्र.पी.-18 का पुलिस कथन देने से इंकार किया है ।

13. इस प्रकार से उपरोक्त साक्षियों से भी कथानक के किसी भी बिन्दु पर कोई समर्थन प्राप्त नहीं है ना ही उनके द्वारा ऐसे कोई तथ्य प्रकट किए गये हैं जोकि कड़ी के रूप में विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों को प्रमाणित करने में अभियोजन को सहयोग करते हों । जहां तक विवेचक कुशलसिंह भदौरिया अ.सा.-11 का प्रश्न है जिसने प्र.पी.-3 की एफ आई आर फरियादी बाली की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपीगण जैकी व लटूरी व अन्य अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध मारपीट व 27300 रुपये की लूट बाबत फरियादी के कहे अनुसार लेखबद्ध करना बताया है किन्तु स्वयं फरियादी बाली खटीक अ.सा.-02 ने ही उसका समर्थन नहीं किया है। प्र.पी.-4 के नक्शामौका की पुष्टि अवश्य की है किन्तु घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र की होना ही प्रमाणित हो सकती है किन्तु ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है जिससे आरोपीगण के द्वारा फरियादी बाली खटीक की मारपीट सहित लूट की घटना की पुष्टि करती हो । इसलिये अ.सा.-11 के अभिसाक्ष्य से विचाराधीन आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोप में से कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अभिलेख पर विचाराधीन आरोपों के प्रमाण हेतु साक्ष्य का अभाव है। जिससे विचाराधीन घटना प्रमाणित ही नहीं हो सकती है। जिसके कारण धारा-232 द.प्र.सं. के तहत दोषमुक्ति का आदेश प्रसारित किया जाना न्याय संगत पाया गया है।

14. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में विचाराधीन आरोपीगण भर्मा उर्फ ब्रजमोहन, अजय उर्फ लटूरी एवं बनवारी के विरुद्ध अभिलेख पर विरचित आरोपों के प्रमाण में कोई साक्ष्य नहीं है । इसलिये प्रमाण के अभाव में विचाराधीन आरोपीगण को धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत विरचित आरोप धारा-394/34 भा.द.वि.सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 के आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है ।

15. विचाराधीन आरोपीगण भर्मा उर्फ ब्रजमोहन, अजय उर्फ लटूरी एवं बनवारी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

16. प्रकरण में सहअभियुक्त जैकी उर्फ जयकुमार पूर्व से फरार है इसलिये संपत्ति व अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

17. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांक: 28/06/2016

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड